झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–03/2015 के संबंध में आवश्यक सूचना।

1. झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0–**03/2015** के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के संवीक्षोपरान्त उक्त विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप प्रथम दृष्टया अनर्हित (योग्यता एवं अर्हत्ता पूरी नहीं करने वाले), औपबंधिक स्वीकृत सूची एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर दिनांक–24.08.2017 को अपलोड करते हुए स्पष्टीकरण/निराकरण हेतु आवश्यक सूचना/अभिलेख दिनांक–08.09.2017 तक आमंत्रित किया गया था।

2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरान्त अंतिम रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर दिनांक–**25.07.2018** से उपलब्ध रहेगा।

3. उक्त परीक्षा हेतु वर्तमान में अंतिम रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों (आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध सूची के अनुसार) को निदेश दिया जाता है कि दिनांक–**25.07.2018** से दिनांक–**24.08.2018** तक विज्ञापन संख्या–**03/2015** के आलोक में संबंधित पद हेतु **ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि एवं दावे के अनुरूप** निम्न वांछित **प्रमाण–पत्र/अभिलखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति** अनिवार्य रूप से आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे :–

- (क) जन्म तिथि हेतु मैट्रिक मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्र,
- (ख) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र,
- (ग) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र,
- (घ) झारखण्ड राज्य के BC-I, BC-II, SC एवं ST कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा **ऑनलाईन आवेदन में किये गये आरक्षण संबंधी दावे एवं अंकित प्रविष्टि के अनुरूप** विज्ञापन की कंडिका–12 में दिये गये निदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा अर्थात् उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत **विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र।**
- (ङ.) विकलांग कोटि के आरक्षण के दावे की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन में किये गये विकलांगता आरक्षण संबंधी दावे एवं अंकित प्रविष्टि के अनुरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–7281 **दिनांक–07.11.2007 के अनुबंध–01 में दिये गये विहित प्रपत्र में** सभी सूचनाओं सहित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र।
- (च) झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु किये गये दावे के विरूद्ध नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

4. **उक्त प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति** आयोग कार्यालय में हाथों हाथ/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001"** के पते पर निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर अभ्यर्थी अपना **नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर, आरक्षण कोटि तथा परीक्षा का नाम–** ***"झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग–2 (मूल कोटि) के सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन संख्या–03/2015"*** मोटे (**Bold**) अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

5. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होनेवाले प्रमाण पत्र/अभिलेखों (ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि के अनुरूप) को अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं तदनुसार अभ्यर्थिता अंतिम रूप से सुनिश्चित की जायेगी फलस्वरूप इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि से भिन्न प्रमाण पत्र/अभिलेख स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

6. साक्षात्कार के क्रम में अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र/अंक पत्र/अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।